भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2772
05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

गिरदावरी सर्वेक्षण

2772. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः
डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप में महाराष्ट्र में पूरे किए गए और लंबित गिरदावरी सर्वेक्षणों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार वर्ष-वार और जिला- वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में गिरदावरी में देरी या इसके अधूरा रहने के कारणों तथा फसल उत्पादन अनुमानों, फसल बीमा दावों और कृषि नियोजन पर इसके प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुराने भू-अभिलेखों और गांव के मानचित्रों के कारण जमीनी स्तर फसल पैटर्न तथा आधिकारिक कृषि आंकडों के बीच विसंगतियों की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए गिरदावरी प्रक्रियाओं का समयबद्ध डिजिटलीकरण, गांव के मानचित्रों का अद्यतनीकरण और कृषि डेटा प्रणालियों को मजबूत करना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): गिरदावरी, अर्थात फसल क्षेत्र की क्षेत्र-स्तरीय गणना, संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से की जाती है । सांख्यिकी और कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिलावार आधार पर पूर्ण और लंबित गिरदावरी सर्वेक्षणों का प्रशासनिक डेटाबेस नहीं रखता है।

तथापि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) 'फसल सांख्यिकी सुधार' योजना (आईसीएस) को लागू करता है और विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल संबंधी डेटा और उपज दर अनुमानों के संग्रह की प्रणाली में कमियों की पहचान करने में राज्य सरकारों की सहायता करता है। आईसीएस योजना के तहत, राज्य के प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए क्षेत्रफल गणना कार्य की प्रतिदर्श जांच और उपज दर का आकलन करने के लिए प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए फसल कटाई प्रयोगों के प्रतिदर्श पर्यवेक्षण प्रणाली में कमियों की पहचान करके उनमें आवश्यक सुधार किया जाता है। इन जांचों के दौरान पाई गई कमियों को संकलित किया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरणों के ध्यान में लाया जाता है।

सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) के माध्यम से सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को स्वीकृति दी। इस मिशन में कृषि के लिए एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, एक व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफाइल मानचित्र जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का निर्माण और केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य आईटी पहलें शामिल है, जिससे देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाया जा सके। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से संबंधित तीन मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात्, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री। ये सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाए और अनुरक्षित किए जाते हैं।
